

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख)/ (के-380/86)/अलेसे-11/ 2

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

वित्त (राजस्व) विभाग के कार्यवाही विवरण क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 29.11.2017 की अनुपालना में श्री कमलेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 जिसे दिनांक 08.09.2014 को एसीपी प्रकरण में निलंबित किया गया था को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाकर श्री शर्मा का पदस्थापन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, निवाई, टोंक के यहां किया जाता है। श्री शर्मा का स्थानान्तरण नीति में दिये गये समय से पूर्व इनका अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जावे।

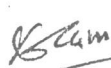

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख)/ (के-380/86)/अलेसे-11/ 2057

दिनांक :- 14.12.2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
5. महानिरीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.), राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, निवाई, टोंक।
8. कोषाधिकारी टोंक।
9. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाइट अपलोड/पी.आई.एस हेतु।
10. श्री कमलेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-11 को प्रेषित कर लेख है कि वो ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, निवाई, टोंक के यहां कार्यग्रहण कर निदेशालय को अवगत करावें।
11. पदस्थापन सीट / एसीपी / जांच / एसीआर / कार्यालय प्रति।


(सांवरमल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)